समक्ष - सतीश कुमार मित्तल, जे.

रमेश चांद @ रमेश कुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

सीआरएल. आर. क्र. संख्या 627 ऑफ़ 1995

23 नवम्बर, 2004

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 – धारा 7, 13(2) और 16 – खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 – नियम 9-क – टाटा नमक का नमूना मिलावटी बताया गया है – स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा परीक्षणगीर की रिपोर्ट भेजते हुए याचिकाकर्ता के प्रति शिकायत की अधिसूचना – नियम 9-क के अनुसार, प्राधिकारियों को प्रोसेक्शन के दर्ज होने की स्थापना के दस दिनों के भीतर विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति आगे भेजने की आवश्यकता होती है – अधिकारियों द्वारा शिकायत की स्थापना से पहले रिपोर्ट भेजी जाना – क्या याचिकाकर्ता को नियम 9-क के गैर अनुपालन से नुकसान हुआ कि नहीं - निर्णय, नहीं - याचिकाकर्ता को दूसरे नमूने को विश्लेषण के लिए धारा 13(2) में आवेदन करने में विफल होने के कारण - ऐसी असफलता, याचिकाकर्ता की ओर से प्रोसेक्शन के दर्ज होने की किसी देर के कारण नहीं हुआ -- शिकायत के संस्थान से पहले नोटिस और विश्लेषक की रिपोर्ट भेजी जाने की वजह से याचिकाकर्ता को कोई नुक्सान नहीं – याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने वाली

न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता को परोल पर छोड़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने पहले ही 16 साल से अधिक की लंबी क्रियाविधि का सामना किया है।

अभिनिर्णित - केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट दूसरे नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दस दिनों के भीतर विश्लेषण कराने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी के साथ भेजी गई थी केवल इसी वजह से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब याचिकाकर्ता को खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत के समन की प्रति प्राप्त हुई और जब वह उक्त समन के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसके पास सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट थी। उस जानकारी के आधार पर, वह केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए धारा 13(2) के तहत आवेदन दायर कर सकता था। यदि उसने ऐसा कोई आवेदन दायर किया होता और उसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाता कि यह नोटिस प्राप्त होने के दस दिन बाद दायर किया गया है, तो स्थिति अन्यथा होती। लेकिन याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल नियम 9-क के निर्देशिका प्रावधान के गैर-अनुपालन के कारण के कारण याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि देरी के कारण या शिकायत दर्ज होने से पहले सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और नोटिस भेजने के कारण, वह दूसरे नमूने का विश्लेषण नहीं कर सका क्योंकि वह विघटित या दोषपूर्ण था। इस बात से

कोई फर्क नहीं पड़ता की सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और धारा 13(2) के तहत आरोपी के अधिकार के बारे में जानकारी , शिकायत दर्ज होने से पहले है या शिकायत दर्ज होने के बाद है।

(पैरा 17)

इसके अलावा निर्धारित किया गया- चूंकि याचिकाकर्ता ने केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उपाय का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे शिकायत दर्ज होने से पहले सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की आपूर्ति के कारण किसी प्रतिकूल का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि में कोई अवैधता नहीं दिखती।

(पैरा 17)

आर.एस. सिहोता , वकील - याचिकाकर्ता की ओर से

राजेश भारद्वाज, एएजी, हरियाणा - प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

सतीश कुमार मित्तल, जे.

1. रमेश चांद याचिकाकर्ता ने नीचे की दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के खिलाफ यह आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है, जिसके तहत उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण

अधिनियम, 1954 (इसके बाद हम इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित करेगे) की धारा धारा 7 /16 के तहत दोषी ठहराया गया है और छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

तथ्य :

(2) 27 सितंबर 1988 को खाद्य निरीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता की दुकान से टाटा नमक का एक नमूना लिया गया था। सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, करनाल की दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 (पूर्व पीएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त नमूने में आयोडीन की न्यूनतम निर्धारित सीमा नहीं थी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 दिसंबर, 1987 के माध्यम से खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, हरियाणा द्वारा आयोडीन युक्त नमक के अलावा अन्य सामान्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उक्त अधिसूचना के आलोक में याचिकाकर्ता के परिसर से लिया गया टाटा नमक का नमूना मिलावटी पाया गया।

(3) इसके बाद, 15 नवंबर, 1988 को, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के साथ याचिकाकर्ता को एक पत्र (Ex. PW3/A) भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार की अदालत में 7 नवंबर, 1988 को ,एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें अगली तारीख 11 जनवरी, 1989 है। उक्त सूचना अधिनियम की धारा 13 (2) और खाद्य अपमिश्रण

निवारण नियम , 1955 बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 9-क के अनुपालन में जारी की गई है जिसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रोसेक्शन के दर्ज होने के दस दिनों की अवधि के भीतर, नियम 7(3) के तहत दिए गए फॉर्म III में विश्लेषण के परिणाम की एक प्रति डाक द्वारा या हाथ से (जैसे उचित हो), उस व्यक्ति को अग्रेषित करेगा जिससे खाद्य निरीक्षक द्वारा वस्तु का नमूना लिया गया था।

(4) वास्तव में, इस मामले में, 7 नवंबर, 1988 को कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। बल्कि, यह 12 जनवरी, 1989 को दर्ज की गई थी, जैसा कि अदालत के आदेश पत्र से स्पष्ट है, और याचिकाकर्ता को 9 फरवरी 1989 के लिए समन किया गया था। उस तारीख से पहले, 30 जनवरी, 1989 को, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ और उसने 9 फरवरी, 1989 को इस आधार पर उपस्थिति से छूट मांगी कि उसे उसके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए उक्त तारीख पर स्टेशन से बाहर जाना था। 30 जनवरी, 1989 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता को 9 फरवरी, 1989 के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि न तो 30 जनवरी 1989 को, और न ही उसके बाद की तारीख पर, मुकदमे के दौरान, याचिकाकर्ता ने धारा 13(2) अधिनियम के तहत उसे प्रदान किए गए अपने

अधिकार का प्रयोग करते हुए निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए अदालत में कोई आवेदन किया।

(5) साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 7/16 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया और तदनुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जिसे अपीली न्यायालय ने अपील में बरकरार रखा। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका दर्ज की गई ।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क:

(6) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में, अधिनियम की धारा 13(2) के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रावधान की आवश्यकता और नियमों के नियम 9-क के अनुसार, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नियम 7 के उप-नियम (3) के तहत दिए गए फॉर्म III में विश्लेषण की रिपोर्ट के साथ, जिस व्यक्ति से वस्तु का नमूना लिया गया था, उस व्यक्ति को प्रॉसिक्यूशन के दर्ज होने के दस दिनों की अवधि के भीतर नोटिस भेजना आवश्यक है। इस नोटिस के द्वारा यह सूचित किया जाएगा की , वह रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर अदालत में आवेदन कर सकता है की उसे स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा रखे गए और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए खाद्य पदार्थ का नमूना दिया जाए । याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि उपरोक्त नोटिस और

सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट अभियोजन शुरू होने के बाद ही आरोपी को भेजी जानी चाहिए, उससे पहले नहीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामले में, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के साथ याचिकाकर्ता को फॉर्म III पर नोटिस दिनांक 15 नवंबर, 1988 को अग्रेषित पत्र के माध्यम से, भेजा गया था, जो कि Ex. PW3/A है , जिसमें याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी कि शिकायत के खिलाफ उन्हें 7 नवंबर, 1988 को अदालत में स्थापित किया गया था और अगली तारीख 11 जनवरी, 1989 तय की गई थी। हालांकि, 7 नवंबर, 1988 को न तो कोई शिकायत दर्ज की गई थी और न ही 11 जनवरी, 1989 की तारीख तय की गई थी। वास्तव में, शिकायत 12 जनवरी, 1989 को दायर किया गया और उक्त शिकायत दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

(7) याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि उपरोक्त अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने से याचिकाकर्ता के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने का विक्रेता का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है, जो सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उसे प्राप्त होता है। याचिकाकर्ता स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उसे भेजी गई सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन कर सकता था। चूंकि उस समय तक, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के साथ उपरोक्त

नोटिस याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ था, न तो अदालत में कोई शिकायत दर्ज की गई थी और न ही इसे दस दिनों की अवधि के भीतर दर्ज किया गया था, जब याचिकाकर्ता दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन कर सकता था। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि वर्तमान मामले में, शिकायत 12 जनवरी, 1989 को स्थापित की गई थी, यानी याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दस दिन बाद। इसलिए, याचिकाकर्ता दूसरे नमूने के विश्लेषण के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अदालत का रुख नहीं कर सका। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली दोनों अदालतों ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए विवाद को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 12 जनवरी, 1989 को दायर शिकायत में 30 जनवरी, 1989 को अदालत में पेश होने के बाद से याचिकाकर्ता ने दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 13(2) का प्रावधान अनिवार्य है और यदि इसका उल्लंघन किया गया है, तो याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने **प्रमोद कुमार बनाम राज्य**[1] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 13 (2) के प्रावधान के तहत, अधिकार प्रदत्त है। अधिनियम के तहत अभियोजन

[1] 1981(1) Prevention of Food Adulteration Cases 161

शुरू होने के बाद ही आवेदक/अभियुक्त पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अभियोजन शुरू करने से पहले आवेदक को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस देता है, तो उस स्थिति में, आवेदक के खिलाफ पूरी कार्यवाही, जो उसकी सजा में परिणत होती है, अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के कारण समाप्त हो जाती है। जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) में निहित है। इस मामले में, यह माना गया कि आवेदक के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन उस तारीख को शुरू किया गया माना जाएगा जिस दिन शिकायत मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत की गई थी।

(8) याचिकाकर्ता के वकील ने **राज्य बनाम पंचानाधाम**[2] मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि जब अभियोजन शुरू करने से पहले आरोपी को नोटिस जारी किया गया था, तो यह अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस प्रावधान के अनुसार उस व्यक्ति , जिससे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था, के खिलाफ अभियोजन शुरू होने के बाद नोटिस जारी किया जाना चाहिए । उस मामले में, नोटिस 7 नवंबर, 1976 को जारी किया गया था, जबकि शिकायत 10 नवंबर, 1976 को दायर की गई थी। इस उल्लंघन के कारण, उस मामले में आरोपी की सजा को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी

[2] 1982(1) Prevention of Food Adulteration Cases 328

भरोसा किया **यूपी राज्य बनाम बुचे सिंह**[3] । उस मामले में, सार्वजनिक विश्लेषक की नोटिस और रिपोर्ट 21 फरवरी, 1978 को आरोपी को भेजी गई थी, जबकि उसके खिलाफ शिकायत 27 फरवरी, 1978 को दायर की गई थी। उस स्थिति में, यह माना गया कि रिपोर्ट और सूचना पहले भेजना और बाद में अभियोजन शुरू करना अधिनियम की धारा 13(2) की शर्तों का पूर्ण और उचित अनुपालन नहीं होगा और इसके अलावा, आरोपी को यह पता नहीं चलेगा कि उसे किस अदालत में और कब आवेदन करना चाहिए। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन न करने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून की नज़र में बुरा माना गया। याचिकाकर्ता के वकील ने **राजन लाल बनाम यूपी राज्य**[4] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया। जिसमें यह माना गया कि अभियोजन शुरू होने से 12 दिन पहले आरोपी को सूचना के साथ फॉर्म III में सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति भेजना अधिनियम की धारा 13 (2) के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है और निश्चित रूप से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मुकदमा ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति में, यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि उसने बाद में दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन नहीं किया था।

---

[3] 1992(1) Prevention of Food Adulteration Cases 328

[4] 1985 (1) Prevention of Food Adulteration Cases 27

(9) विकल्प में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यदि इस न्यायालय को याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं मिला, तो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा को कम किया जाए और याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा किया जाए। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक छोटा दुकानदार है और उसे उस अधिसूचना की जानकारी नहीं थी, जिसके तहत आयोडीन युक्त नमक के अलावा अन्य सामान्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ब्रांडेड नमक बेच रहा था और इसमें मिलावट के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि नमक गैर-आयोडीन था, तो यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने नमक से आयोडीन हटा दिया है। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता का मामला अधिनियम की धारा 16 के दूसरे प्रावधान द्वारा शासित होता है, जो यह प्रावधान करता है कि निर्णय में उल्लिखित विशेष कारणों के लिए, जहां अपराध खंड के उप-खंड (a)(ii) से संबंधित है और धारा 23 की उपधारा (1-क)(a) या (g) के तहत या धारा 24 की उपधारा (2) (b) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के संबंध में है जिनमे अदालत तीन महीने तक की कैद और पांच सौ रुपये तक के जुर्माने की सजा दे सकती है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के परिसर से वर्ष 1988 में नमक का नमूना लिया गया था। उसने 15 साल से अधिक की अवधि तक लंबे मुकदमे

का सामना किया है और वह पहला अपराधी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **जोग धियान बनाम हरियाणा राज्य** [5] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, विशेष तथ्यों में परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है मामले की परिस्थितिओ को देखते हुए।

प्रतिवादी की ओर से तर्क:

(10) दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के उल्लंघन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को बरी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा यह स्थापित नहीं किया जाता है कि ऐसे उल्लंघन की वजह से उसके साथ प्रेजुडिस हुया है. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में, हालांकि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और नियमों के नियम 9-क और अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आवश्यक सूचना शिकायत शुरू होने से पहले भेजी गई थी, लेकिन यह भी स्वीकार की गई स्थिति रिकॉर्ड पर है कि किसी भी समय, जब याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष या उसके बाद उपस्थित हुआ, तो उसने विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, इन तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत दर्ज होने से पहले सार्वजनिक विश्लेषक की नोटिस

[5] 2001(2) R.C.R. (Criminal) 331

और रिपोर्ट भेजने के कारण याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि देरी के कारण या सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भेजने और शिकायत शुरू होने से पहले नोटिस भेजने के कारण, वह दूसरे नमूने का विश्लेषण नहीं कर सका, जैसा कि पहले ही हो चुका है क्योंकि वह विघटित या दोषपूर्ण हो गया। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने **अजीत प्रसाद राम किशन सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य**[6] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, आरोपी ने दलील दी कि समन की तामील में देरी के कारण वह दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के अपने अधिकार से वंचित हो गया। उक्त याचिका पर, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा बरी कर दिया गया, जिन्होंने पाया कि समन की सेवा में देरी के कारण, दूसरे नमूने का विश्लेषण करना एक व्यर्थ अभ्यास होगा। बरी करने के उक्त आदेश को उच्च न्यायालय ने उलट दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब आरोपी ने कभी भी नमूने के एक हिस्से का पुनर्विश्लेषण कराने के लिए अदालत में आवेदन नहीं किया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है। आगे यह माना गया कि अधिनियम की धारा 13(2) के अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन का

[6] 1972 Prevention of Food Adulteration Cases 545

लाभ उठाने के लिए, बचाव पक्ष को रिकॉर्ड पर यह स्थापित करना होगा कि कथित उल्लंघन के कारण, उसके प्रति पूर्वाग्रह हुआ था।

विश्लेषण :

(11) अधिनियम की योजना के अनुसार, जब किसी खाद्य वस्तु का नमूना अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत लिया जाता है, तो खाद्य निरीक्षक को उक्त का एक नमूना भेजना आवश्यक है खाद्य सामग्री को तुरंत संबंधित स्थानीय क्षेत्र के सार्वजनिक विश्लेषक को उसके विश्लेषण के लिए भेजें। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गए किसी भी नमूने को तीन भागों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक भाग को निर्धारित तरीके से सील किया जाएगा, जिसमें से एक भाग को सार्वजनिक विश्लेषक को सूचित करते हुए भेजा जाएगा। धारा 11 की उपधारा (2) और धारा 13 की उपधारा (2-ए) और (2-ई) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और शेष दो भाग स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को भेजा जायेगा. अधिनियम के 3(1) में प्रावधान है कि सार्वजनिक विश्लेषक उक्त खाद्य पदार्थ के विश्लेषण का परिणाम स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को देगा। उपधारा (2) आगे प्रावधान करती है:-

> “उपधारा (2) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की इस आशय की रिपोर्ट मिलने पर कि खाद पदार्थ अपमिश्रित है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उस व्यक्ति के

जिससे खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे तथा उस व्यक्ति के , यदि कोई हो , जिसका नाम , पता और अन्य विशिष्टियाँ धारा 14 (क) के अधीन प्रकट की गई हों , विरुद्ध अभियोजन चलाने के पश्चात् , यथास्थिति , ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों को विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी रीति से , जो विहित की जाये , ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियो को यह सूचित करते हुए भेजेगा कि वे दोनो या उनमे से कोई अगर चाहे तो रिपोर्ट के प्रति मिलने की तारीख़ से दस दिन की अवधि के अंदर न्यायालय को यह आवेदन कर सकते हैं कि स्थानीय(स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा रखे गये खाद्य पदार्थ के नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया जाए"।

उपधारा 2 (क) - निम्नानुसार प्रावधान करती है:-

"(2 क) जब न्यायालय को उपधारा () के अधीन आवेदन किया जाता है तब न्यायालय स्थानीय(स्वास्थ्य) प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह नमूने के उस भाग या उन भागों को जो उक्त प्राधिकारी द्वारा रखे गये हों , भेज दें तथा ऐसी अध्यापेक्षा की जाने पर उक्त प्राधिकारी उस अध्यापेक्षा के मिलने की तारीख़ से पाँच दिन की अवधि के अंदर न्यायालय को नमूने के भाग भेजा देगा"।

उपधारा 2(ख) आगे निम्नानुसार प्रावधान करती है:-

"उपधारा (2 क) के अधीन स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से नमूने के भाग या भागों के मिलने पर न्यायालय पहले यह अभिनिश्चित करेगा कि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथा उपबन्धित चिहन और मुहर या बंधन ज्यों के त्यों हैं और , यथास्थिति , हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को बिगाड़ा नहीं गया है और वह , यथास्थिति , नमूने के भाग या भागों में से एक भाग को अपनी मुहर लगाकर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला निर्देशक को भेजेगा तो तब नमूने के भाग की प्राप्ति की तारीख से एक मास के अंदर विहित प्ररूप में न्यायालय को एक प्रमाणपत्र भेजेगा जिसमें विश्लेषण का परिणाम विनिदृष्टि होगा"।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा [उपधारा (2 ख) के तहत] जारी किया गया प्रमाणपत्र उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान ले लेगा।

(12) योजना के साथ-साथ अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13(2) द्वारा विक्रेता को दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक विभिन्न चरणों में समय निर्दिष्ट करके, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभियोजन इस तरह से आगे बढ़ेगा कि किसी भी देरी के कारण विक्रेता को इस तरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार मूल्यवान है, क्योंकि निदेशक का प्रमाणपत्र सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का

स्थान लेता है और इसे इसकी सामग्री के निर्णायक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यह अधिकार विक्रेता को उसकी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए दिया गया है, ताकि वह दूसरे नमूने का विश्लेषण किसी बड़े विशेषज्ञ से करा सके जिसके प्रमाणपत्र को अदालत निर्णायक साक्ष्य के रूप में माने। किसी मामले में यदि अभियोजन पक्ष के जानबूझकर किए गए आचरण या लापरवाही के कारण विक्रेता को यह मूल्यवान अधिकार देने से इनकार कर दिया जाता है परिणामस्वरूप उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो गया है, क्योंकि वह दूसरे नमूने का विश्लेषण नहीं करा सका या दूसरे नमूने का विश्लेषण नहीं हो सका। किसी दोष या विघटन के कारण विश्लेषण किया गया है, उस स्थिति में, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उसकी सजा को बरकरार रखना उचित नहीं होगा। यदि विक्रेता को विश्लेषण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में नमूना भेजने के लिए अदालत में आवेदन करने का अवसर मिलने के बावजूद उसने इसका लाभ नहीं उठाया, तो उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी अनियमितता के कारण बरी होने का हकदार है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उसे नोटिस भेजते समय अपराध किया गया था या रिपोर्ट भेजने या अदालत में शिकायत दर्ज करने में देरी की गई थी।

(13) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के विक्रेता के अधिकार पर, जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) द्वारा प्रदत्त है, **बाबूलाल हरगोविंदा**

बनाम गुजरात राज्य[7] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, जिसमें यह माना गया कि अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव कि अभियोजन शुरू करने में देरी के कारण वह अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपने अधिकार से वंचित हो गया है, तब तक खुला नहीं है जब उसने इसके तहत आवेदन दायर नहीं किया है। अधिनियम की धारा 13(2) में मुकदमे के दौरान विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं होने पर कि उसके साथ कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। इसलिए, उनके लिए यह तर्क देना अब खुला नहीं था कि उनके पास अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निदेशक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को अपनी हिरासत में नमूना भेजने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अदालत में इसे भेजने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। इस सिद्धांत का बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अजीतप्रसाद रामकिशन सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा)** में पालन किया गया, जहां यह माना गया कि धारा 13(2) के तहत अभियुक्त द्वारा किसी भी आवेदन के अभाव में अधिनियम निदेशक द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण करने पर, अभियुक्त यह शिकायत नहीं कर सका कि उसे निदेशक द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। समन तामील कराने में शिकायतकर्ता की ओर से की गई देरी और लापरवाही, साक्ष्य के अभाव में यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि समन

[7] AIR 1971 S.C. 1277

तामील होने पर नमूना खराब हो गया था, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अभियुक्त को वंचित करने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। धारा 13(2) के तहत अधिकार।

(14) **प्रभु बनाम राजस्थान राज्य**[8] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर फिर से विचार किया है और माना है कि जब आरोपी ने भोजन का नमूना भेजने के लिए धारा 13(2) के तहत उपाय का लाभ नहीं उठाया था केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के लिए लेख में, यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन चलाने में देरी के कारण उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है, जब तक कि उन्होंने विशेष रूप से उनके कारण हुए किसी विशिष्ट पूर्वाग्रह को साबित नहीं कर दिया हो।

(15) अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, निर्धारित तरीके से, उस व्यक्ति को अग्रेषित करना आवश्यक है, जिससे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था। उन्हें यह सूचित करते हुए लिया गया था कि यदि वह चाहें तो रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने का विश्लेषण कराने के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। नियमों के नियम 9-ए में प्रावधान है कि स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण अभियोजन की स्थापना के बाद दस दिनों की अवधि के भीतर उप-नियम (3) के तहत फॉर्म III में विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा। नियम 7 के अनुसार, पंजीकृत

[8] 1994(1) Prevention of Food Adulteration Cases 194

डाक से या हाथ से, जैसा उचित हो, उस व्यक्ति को, जिससे खाद्य निरीक्षक द्वारा वस्तु का नमूना लिया गया था, बशर्ते कि नमूना अधिनियम के प्रावधान या बनाए गए नियमों के अनुरूप हो। इसके तहत, और अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत कोई अभियोजन का इरादा नहीं है या उप-धारा (2-ङ) के तहत कोई कार्रवाई का इरादा नहीं है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण उस विक्रेता को परिणाम सूचित करेगा जिससे नमूना सार्वजनिक विश्लेषक से रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर लिया गया है। हालाँकि, 4 जनवरी, 1977 के बाद, "दस दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर 'तुरंत' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

(16) इस प्रश्न पर कि क्या नियम 9-क की आवश्यकता अनिवार्य है या निर्देशिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तुलसीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[9] में विचार किया था। इस नियम को निर्देशिका के रूप में धारण करते समय इसे इस प्रकार रखा गया:-

> "...नियम 9-क संशोधित धारा 13(2) के संदर्भ में बनाया गया है जो सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को उस व्यक्ति को अग्रेषित करने का प्रावधान करता है जिससे अभियोजन शुरू होने के बाद नमूना लिया गया था और उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास रखे गए नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण करने के लिए अदालत में आवेदन करें। इस संदर्भ में 'तुरंत' अभिव्यक्ति का अर्थ केवल 'उचित प्रेषण और तत्परता' व्यक्त करना है और

[9] 1984(1) Prevention of Food Adulteration Cases 146

इससे अधिक नहीं। विचार यह है कि आधिकारिक डोम की ओर से शिथिलता से बचा जाए और अभियुक्तों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जाए। लेकिन विचार अभियोजन पक्ष को दंडित करने और तकनीकी बचाव प्रदान करने का नहीं है। पहले 'तत्काल' का अर्थ तुरंत या 'तत्काल' समझना और फिर देरी को अभियोजन के लिए घातक मानना शायद नियम 9-क को धारा 13(2) के दायरे से बाहर कर देगा। हमें नहीं लगता कि नियम 9-क की इस तरह से व्याख्या करना जायज़ है। असली सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट आरोपी को इतनी जल्दी भेजी गई थी कि वह शुरू में ही अपना बचाव करने में सक्षम हो सके और उसे एक नमूने को विश्लेषण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने के लिए अदालत में आवेदन करने का मौका दे सके। यदि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसने कभी भी नमूना केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने के लिए अदालत में आवेदन करने की मांग नहीं की, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो उसे रिपोर्ट की प्राप्ति में देरी की शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है , जब तक कि निःसंदेह, वह कोई अन्य पूर्वाग्रह स्थापित करने में सक्षम न हो। इस प्रश्न पर हमारे निष्कर्ष हैं: नियम 9-क में 'तुरंत' अभिव्यक्ति का उद्देश्य तात्कालिकता के बजाय निरंतरता की भावना पैदा करना है। जो किया जाना चाहिए वह यह है कि रिपोर्ट को यथाशीघ्र अग्रेषित किया जाए, ताकि अभियोजन पक्ष

द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले अच्छे और पर्याप्त समय में धारा 13(2) के तहत वैधानिक अधिकार के प्रयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। नियम 9-क का अनुपालन न करना घातक नहीं है। यह पूर्वाग्रह का सवाल है।"

परिणाम :

(17) उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, मुझे याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं दिखती। केवल इसलिए कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को शिकायत दर्ज होने से पहले उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी के साथ भेजी गई थी, कि मेरी राय में, इससे याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब याचिकाकर्ता को खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत के समन की प्रति प्राप्त हुई और जब वह उक्त समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसके पास सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट थी। ओह, उस जानकारी के आधार पर, वह केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए धारा 13(2) के तहत आवेदन दायर कर सकता था। यदि उसने ऐसा कोई आवेदन दायर किया होता और उसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाता कि यह नोटिस प्राप्त होने के दस दिन बाद दायर किया गया है, तो स्थिति अन्यथा होती। लेकिन मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए आवेदन नहीं किया।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल नियम 9-क के निर्देशिका प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि देरी के कारण या शिकायत दर्ज होने से पहले सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और नोटिस भेजने के कारण, वह दूसरे नमूने का विश्लेषण नहीं कर सका क्योंकि वह विघटित या दोषपूर्ण था। मेरी राय में, शिकायत दर्ज होने से पहले या शिकायत दर्ज होने के बाद धारा 13(2) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और आरोपी के अधिकार के बारे में जानकारी भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम 9-क की एकमात्र आवश्यकता यह है कि शिकायत दर्ज होने के दस दिनों के भीतर, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को उस व्यक्ति को विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट भेजनी होगी जिससे नमूना लिया गया था। विशिष्ट समय के भीतर दूसरा नमूना भेजने का उद्देश्य विक्रेता को बिना किसी देरी के केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने का अवसर प्रदान करना है। जब मौजूदा मामले में, रिपोर्ट शिकायत दर्ज होने से पहले भेजी गई थी, तो यह नियम 9-क के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को विफल नहीं करता है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में उद्धृत किसी भी निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न उपर्युक्त निर्णयों पर विचार नहीं किया गया है और न ही उन पर ध्यान दिया गया है। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुसंगत कानून का पालन करते हुए, मेरा मानना है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 'उपाय' का लाभ नहीं उठाया

है। दूसरे नमूने को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजने के लिए, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत दर्ज होने से पहले सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की आपूर्ति के कारण उन्हें कोई पूर्वाग्रह हुआ है। इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि में कोई अवैधता नहीं दिखती।

(18) निस्संदेह, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मामलों को सख्ती से देखा जाना चाहिए, फिर भी **नारायण दास बनाम हरियाणा राज्य**[10] में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और **जोग धियान बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा)**, और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यानी याचिकाकर्ता पहले ही 16 साल से अधिक की लंबी सुनवाई का सामना कर चुका है, वह पहला अपराधी है, एक छोटी दुकान थी ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार ब्रांडेड गैर-आयोडीनयुक्त नमक बेच रहा था; जिसे निषिद्ध कर दिया गया था,. नमूना लेने से ठीक एक साल पहले अधिसूचना के माध्यम से और तथ्य यह है कि उसका मामला अधिनियम की धारा 16 के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत आता है, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा गया है और सजा के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि याचिकाकर्ता को एक महीने की अवधि के भीतर ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छा

[10] 1997 (3) R.C.R. 311

आचरण दिखाने के लिए आवश्यक बांड प्रस्तुत करने पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा, जिस तारीख से उसे इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होगी।

(19) इस प्रकार, इस पुनरीक्षण याचिका को ऊपर बताए गए तरीके से आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)